पत्रांक– 3/एम0–25/2023सा0प्र0 17355/

बिहार सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

डॉ0 बी0 राजेन्दर

सरकार के प्रधान सचिव

सेवा में

सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव

पटना–15, दिनांक– 14.9.2023

विषयः– **नियमावली की विधिक्षा के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि भारत–संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक में निहित प्रावधान के आलोक में विभिन्न विभागों के नियंत्रणाधीन सेवा/संवर्ग में नियुक्ति एवं सेवा शर्तों को विनियमित करने हेतु नियमावली का गठन किये जाने का प्रावधान है। इसी प्रकार राज्य सरकार के विभिन्न अधिनियमों के प्रावधान के आलोक में भी नियमावली गठित करने की आवश्यकता होती है।

2. नियमावली का गठन किये जाने के क्रम में मंत्रिपरिषद् का अनुमोदन प्राप्त करने के पूर्व प्रस्तावित नियमावली के हिन्दी एवं अंग्रेजी प्रारूप की विधिक्षा विधि विभाग के माध्यम से विद्वान महाधिवक्ता से कराये जाने का प्रावधान है।

3. इस क्रम में विद्वान महाधिवक्ता द्वारा सूचित किया गया है कि विधिक्षा के क्रम में प्रस्तावित नियमावली के प्रारूप में स्पष्टता के अभाव के कारण कतिपय मामलों में संचिका प्रशासी विभाग को लौटायी जाती है। फलस्वरूप विधिक्षा में अनावश्यक विलम्ब होता है।

4. उक्त कठिनाई के निराकरण हेतु विद्वान महाधिवक्ता ने अपने पत्र में निम्नांकित आदेश निर्गत किये जाने का उल्लेख किया है–

> "... all the Departments may be instructed to depute a competent officer, fully aware with the aim and object of proposed Rules/Regulations to accompany the files so that vetting of the draft does not get delayed. Accordingly, appropriate instructions may be issued to all the Departments to ensure that files dealing with Rules/Regulations need to be accompanied by a competent officer who is well versed with such proposed Rules/Regulations, so that vetting of the draft is not unnecessarily delayed."

5. अतः अनुरोध है कि विद्वान महाधिवक्ता के उक्त वर्णित निदेश से अवगत होते हुए इसका अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों/कर्मियों को निदेशित किया जाय।

विश्वासभाजन

(डॉ0 बी0 राजेन्दर)
सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक–3/एम0–25/2023सा0प्र0 17355/ पटना–15, दिनांक– 14.9.2023

प्रतिलिपिः– विद्वान महाधिवक्ता महोदय, बिहार, महाधिवक्ता का कार्यालय, उच्च न्यायालय, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

बिहार सरकार
भवन निर्माण विभाग

ज्ञापांकः– भवन/स्था0–02–विविध–04/2022 8977(9) पटना, दिनांक– 03.11.23

प्रतिलिपि :– सचिव के प्रधान आप्त सचिव/अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव/विशेष सचिव/सभी संयुक्त सचिव/मुख्य महाप्रबंधक, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि0, पटना/सभी मुख्य अभियंता (विद्युत सहित)/सभी उप सचिव/अवर सचिव/सभी अधीक्षण अभियंता (विद्युत सहित)/कार्यपालक अभियंता (विद्युत सहित)/सभी प्रशाखा पदाधिकारी/सभी सहायक/आई0टी0 मैनेजर, भवन निर्माण विभाग, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

02.11.23
(ज्ञानेन्द्र कुमार)
सरकार के उप सचिव।